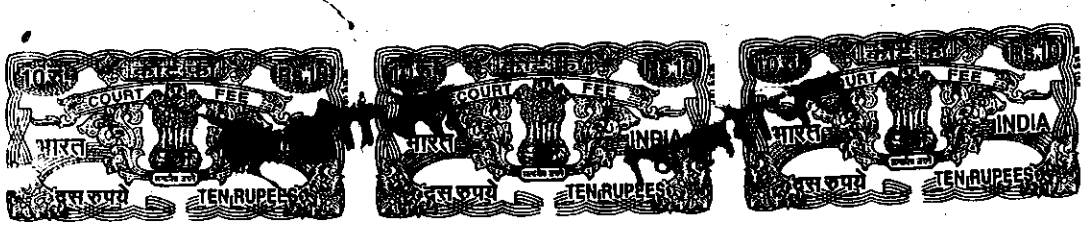

10 रु. COURT FEE INDIA TEN RUPEES (court fee stamps x3)

191

न्यायालयः समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. निग/ /प्रथम/2016 निग 3275 I-16

(1) अरूण मंगल पुत्र
राजेन्द्र प्रसाद मंगल

(2) जितेन्द्र मंगल पुत्र
राजेन्द्र प्रसाद मंगल निवासीगण
शिवपुरी रोड़ श्योपुर (म.प्र.)

............आवेदकगण/निगरानीकर्ता

बनाम

(1) तहसीलदार तहसील श्योपुर (म.प्र.)

(2) पटवारी मोजा ग्राम नागदा
तहसील श्योपुर

............अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 17/15-16/अ-6 से व्यथित होकर -दि.-25/7/16-

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है

निगरानी का संक्षिप्त सार

यह है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम नागदा तहसील व जिला श्योपुर का भूमि सर्वे क्रमांक 982 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा 2 (2.184) हैक्टेयर कृषी भूमि पर रजिस्टर्ड वसीयत नामा के आधार पर मृतका देव बाई के स्थान पर आवेदकगण का नामान्तरण करने हेतु आवेदन पत्र म.प्र. भू राजस्व की धारा 109, 110 के तहत प्रस्तुत किया आवेदकगण के आवेदन पर कार्यवाही करते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपने न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 17/15-16/अ-6 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की जिसके क्रम में इश्तहार जारी किये गये तथा नियत समय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3275/एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-10-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 17/2015–16/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम नागदा तहसील व जिला श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 982 रकवा 13 बीघा 16 विस्वा (2.184 है0) कृषि भूमि पर पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर मृतका देव बाई के स्थान पर आवेदकगण का नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 109,110 के तहत् प्रस्तुत किया गया। जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की जाकर इस्तहार जारी किया गया एवं आपत्ति आमंत्रित की गयी किन्तु प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही कर आदेश पारित नहीं किया बल्कि प्रकरण को बिना किसी कारण के लंम्बित रखा गया है अतः अधीनस्थ न्यायालय के उक्त कार्यवाही से व्यथित होकर आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। 4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला श्योपुर के समक्ष उनके द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमे विधिवत् रूप से इस्तहार का प्रकाशन किया गया है एवं	

आपत्तियॉ आमत्रित की गयी है। किन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी है किन्तु इसके बावजूद प्रकरण में आदेश पारित नहीं किया गया है बल्कि प्रकरण को बिना किसी कारण के लंबित रखा गया है, ऐसी स्थिति मे वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5– आवेदक अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो से स्पष्ट है कि तहसीलदार श्योपुर के समक्ष नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र अरूण मंगल एवं जितेन्द्र मंगल की ओर से प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर इस्तहार का प्रकाशन किया गया एवं आपत्तियॉ आमत्रित की गयी किन्तु प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी। ऐसी स्थिति में पंजीकृत दस्तावेज वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण किया जाना चाहिये। क्योंकि पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है उपरोक्त स्थित पर विचार किये बिना जो आदेश अथवा कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी है वह विधिवत् एवं उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्योपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह ग्राम नागदा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 982 रकवा 13 बीघा 16 विस्वा पर मृतका देवबाई पत्नी मोतीलाल के स्थान पर आवेदकगण अरूण मंगल व जितेन्द्र मंगल पुत्रगण राजेन्द्र प्रसार मंगल के नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी के रूप में वसीयतनामा के आधार पर दर्ज करें।

सदस्य